न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा उन्नाव

UPUN120008562012

उपस्थित– हिमानी गौतम (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

फौजदारी वाद सं0–2399/2012

सरकार बनाम कल्लू आदि

कथानक अभियुक्त नाम–
1–महेश पुत्र कल्लू पासी, निवासी अकोहरी, थाना मौरांवा जिला उन्नाव।

अ0सं0–644/2012
धारा–323,324,504 भा0दं0सं0
थाना–मौरांवा, उन्नाव

प्रश्न संख्या 1– अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर– कुछ नहीं कहना।

प्रश्न संख्या –2 क्या आपके द्वारा स्वेच्छया पूर्वक जुर्म स्वीकार का प्रार्थनापत्र दिया गया ?
उत्तर– जी हॉ।

प्रश्न संख्या –3 आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला ?
उत्तर– क्यों कि मैने अपराध किया था।

प्रश्न संख्या –4 क्या कुछ और कहना है ?
उत्तर– जी नहीं।

सुनकर तस्दीक किया।

अभियुक्त की परीक्षा मेरी उपस्थिति में की गयी जिसमें अभियुक्त द्वारा किये गये कथनों का विवरण पूर्ण सही है।

दिनांकः–24.06.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।

अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल करने का कथन किया गया। अभियुक्त को समझा दिया गया कि सजा हो सकती है। उसके द्वारा स्वेच्छा से जुर्म इकबाल करना कहा तथा कम से कम दण्ड देने की प्रार्थना की । अभियुक्त ने अपने बयान में स्वेच्छया से जुर्म स्वीकारा है। स्वेच्छया पूर्वक की गयी संस्वीकृत के आधार पर आरोपित अपराध में अभियुक्त को धारा 323,324,504 भा0दं0सं0 में दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूगण को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। उसे दण्ड के बिन्दु पर सुना गया।

अभियुक्त की ओर से दण्ड के बिन्दु पर कथन किया गया है कि वह अत्यन्त गरीब

है। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है तथा उप पर उसके परिवार के पालन पोषण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को प्रावधान के अनुसार अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की है।

प्रकरण वर्ष 2012 से लम्बित है। उसे निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त महेश के द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को फौजदारी वाद सं0–2399/2012, अ0सं0–644/2012 थाना मौरांवा, जिला उन्नाव के प्रकरण में धारा **323** भा0दं0सं0 के अपराध हेतु अभियुक्त को मु0 500/–रू0 (पॉच सौ रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में वह 05 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा तथा धारा **504** भा0दं0सं0 के अपराध हेतु अभियुक्त को मु0 500/–रू0 (पॉच सौ रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में वह 05 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा तथा धारा **324** भा0दं0सं0 के अपराध हेतु अभियुक्त को मु0 1000/–रू0 (एक हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में वे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक–24.06.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षंरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–24.06.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।